

**नोट :** मुख्य अधिसूचना संख्या 04/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 30 जून, 2022 जिसे सा.का.नि. संख्या 492(अ), दिनांक 30 जून, 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 09/2023-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 15 फ़रवरी, 2023 जिसे सा.का.नि. संख्या 103(अ), दिनांक 15 फ़रवरी, 2023 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

### NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd March, 2023

#### No.11/2023-Central Excise

**G.S.R. 167(E).**—In exercise of the powers conferred by section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) read with section 147 of Finance Act, 2002 (20 of 2002), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 04/2022-Central Excise, dated the 30<sup>th</sup> June, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 492(E), dated the 30<sup>th</sup> June, 2022, namely:-

In the said notification, in the Table, against S. No. 2, for the entry in column (4), the entry "Rs.0.50 per litre" shall be substituted.

2. This notification shall come into force on the 4<sup>th</sup> day of March, 2023.

[F. No. 354/15/2022-TRU]

RAKESH DAHIYA, Dy. Secy.

**Note :** The principal notification No. 04/2022-Central Excise, dated the 30<sup>th</sup> June, 2022, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 492 (E), dated the 30<sup>th</sup> June, 2022, and was last amended *vide* notification No.09/2023-Central Excise, dated the 15<sup>th</sup> February, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 103(E), dated the 15<sup>th</sup> February, 2023.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2023

#### सं. 12/2023-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

**सा.का.नि. 168(अ).**—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 112 के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस बात का समाधान होने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 10/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 30 जून, 2022, जिसे संख्या सा.का.नि. 498(अ), दिनांक 30 जून, 2022 में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रमांक 2 के सामने, कॉलम (4) में प्रविष्टि के लिए, प्रविष्टि " शून्य" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 4 मार्च, 2023 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 354/15/2022-टीआरयू]

राकेश दहिया, उप सचिव

**नोट :** मुख्य अधिसूचना संख्या 10/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 30 जून, 2022 जिसे सा.का.नि. संख्या 498(अ), दिनांक 30 जून, 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 28/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 31 अगस्त, 2022 जिसे सा.का.नि. संख्या 674(अ), दिनांक 31 अगस्त, 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था।